राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

क्रमांक प. 2(2)(20)का/क–3/शि./2021 जयपुर, दिनांक 24/3/2021

आदेश

डॉ0 जयसिंह मेहता, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा, जिला बारां को पुलिस थाना केलवाड़ा, जिला बारां द्वारा पंजीबद्ध मुकदमा संख्या 57/2020 अन्तर्गत धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 05.08.2020 को गिरफ्तार किया जाकर 48 घंटे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया।

अतः राज्य सरकार राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. जयसिंह मेहता को दिनांक 05.08.2020 से निलम्बित माने जाने (Deemed to have been Suspended) के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

डॉ0 जयसिंह मेहता का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

(डॉ0 प्रिया बलराम शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर को डॉ0 जयसिंह मेहता, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा, जिला बारां के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ. जयसिंह मेहता को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद सात दिवस में इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 जयसिंह मेहता, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा, जिला बारां को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नही छोड़ें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
6. जिला कलेक्टर, बारां।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला बारां।
8. डॉ0 जयसिंह मेहता, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाड़ा, जिला बारां को निर्देशित किया जाता है कि वे निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर के कार्यालय में निलम्बित अधिकारियों हेतु रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
9. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग।
10. कार्मिक (क–3/जांच) विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल. राव)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई / चि0अ0 / जे—854 / 2021 / 590 दिनांक : 16/ 04 / 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन उप सचिव, कार्मिक(क—3 / शिकायत) विभाग,जयपुर को उनके पत्रांक प.2(2)(20)का / क—3 / शि. / 2021 जयपुर दिनाक 24.03.2021 के क्रम में ।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प03(1)चिस्वा / 2 / 2021 / जे—854 जयपुर दिनाक 06.04.2021 के क्रम में
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन— कोटा।
4. उप विधी परामर्शी मुख्यालय ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉरा को भेजकर लेख है कि डॉ0जयसिंह मेहता चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाडा के निलम्बन आदेश की प्रति सलग्न कर लेख है कि उक्त आदेश को चिकित्सक को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद सात दिवस में कार्मिक (क—3 / शिकायत) विभाग,शासन सचिवालय जयपुर एवं निदेशालय को भिजवावे ।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाडा जिला बॉरा ।
7. प्रशासनिक अधिकारी गोपनीय / एटीसी / डीपीसी अनुभाग राजपत्रित मुख्यालय ।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारियो विभागीय मेल आई डी पर अपलोड करावे ।
9. डॉ0 जय सिंह मेहता चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाडा जिला बारॉ को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के ।
10. रक्षित / निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।